न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 34 / 2019

अपीलांट्स–

1. कानाराम पुत्र पूनमाराम
2. वीरमाराम पुत्र पूनमाराम

जाति कुम्हार निवासी चौकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. उप तहसीलदार जसोल
2. धूड़ाराम पुत्र चौथाराम
3. चूनाराम पुत्र चौथाराम
4. भोमाराम पुत्र गेनाराम
5. मांगाराम पुत्र गेनाराम
6. शंकराराम पुत्र गेनाराम
7. रामूदेवी पत्नी गेनाराम
8. विरधाराम पुत्र अचलाराम
9. चिमाराम पुत्र अचलाराम
10. धनी बेवा अचलाराम
11. मुकनाराम पुत्र राजूराम
12. केसराराम पुत्र राजूराम
13. भोमाराम पुत्र राजूराम
14. दलाराम पुत्र राजूराम
15. कबुदेवी पत्नी राजूराम

जाति कुम्हार निवासी चौकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

16. प्रबन्धक, एसबीआई बैंक बालोतरा
17. प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 132 दिनांक 23.12.2004 जो उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपीलांट्स व उत्तरदातागण की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार रामावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेतनराम प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 1से15 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 12.07.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार जसोल के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 132 दिनांक 23.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा चौकड़ियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 21, 22 व 51 रकबा क्रमशः 01–07, 252–02, 67–02 कुल रकबा 320–11 बीघा के सहखातेदारान कानाराम, वीरमाराम पि0 पूनमाराम, धापू बेवा पूनमाराम, गेनाराम, विरधाराम, चिमाराम पि0 अचला मु0 धनी बेवा अचलाराम, धूड़ा, राजू, चूना पि0 चौथा कौम कुम्हार सा0 देह ने दिनांक 23.12.2004 को प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के तहत उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत गोल स्टेशन द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गोल सोढा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे की जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 132 दिनांक 23.12.2004 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.07.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख [illegible] जाकर अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व इस आवेदन के तथ्यों व भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत कोई पूछताछ नही की गई। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 2से15 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की हैं जिसमें बाहमी बंटवाड़े अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा मौके पर अलग–अलग ढाणियां बनी हुई हैं। पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 51 रकबा 67 बीघा रेकर्ड में दर्ज हैं किंतु मौके पर मात्र 06–10 बीघा ही है, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा में अपीलांट्स को उसके हिस्से 1/5 में जो 64 बीघा भूमि आती हैं वह मौके पर पूर्ण नहीं होने से अपीलांट को मौके पर अपने 1/5 हिस्से अनुसार भूमि नहीं मिली हैं। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्ट्या विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की तत्समय नहीं हुई तथा अर्सा 15 दिन पूर्व रेस्पो0 सं. 2से15 ने अपीलांट्स के कब्जा एवं काश्त की भूमि में दखलदांजी की गई तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से उक्त खेतों की नकलें व नक्शा प्राप्त किया तब अपलांट्स को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट्स ने बदमाशी एवं चालाकी से अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति प्राप्त की गई हैं। इस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.06.2019 को प्रस्तुत किया, तब अपीलांट्स को बताया गया कि उक्त रेकर्ड नहीं मिल रहा है। इसके पश्चात दिनांक 01.07.2019 हल्का पटवारी से नकले प्राप्त हुई तब जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं काश्तकारी नियम 18 से 21 की प्रक्रिया अनुसार विभाजन के आदेश पारित फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 15 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार की सहमति से किये विभाजन अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढ़ाणियां बनी हुई हैं। अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर भूमि का सही रूप से विभाजन किये जाने हेतु सहमत है।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा चौकड़ियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 21, 22 व 51 रकबा क्रमशः 01–07, 252–02, 67–02 कुल रकबा 320–11 बीघा के सहखातेदारान कानाराम, वीरमाराम पि0 पूनमाराम, धापू बेवा पूनमाराम, गेनाराम, विरधाराम, चिमाराम पि0 अचला मु0 धनी बेवा अचलाराम, धूड़ा, राजू, चूना पि0 चौथा कौम कुम्हार सा0 देह ने दिनांक 23.12.2004 को प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के तहत उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत गोल स्टेशन द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी गोल सोढा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे की जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 132 दिनांक 23.12.2004 पारित किया गया। उप तहसीलदार जसोल से प्राप्त मूल विभाजन प्रस्ताव पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अपीलांट्स के 1/5 हिस्से में रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 51 रकबा 67–02 बीघा में से 60–02 बीघा भूमि दी गई हैं जबकि नक्शे में उक्त खसरे की तरमीम अनुसार रकबा उपलब्ध ही नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यों एवं भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत कोई पूछताछ नहीं की गई बल्कि यांत्रिक रूप से रेकर्ड में रकबे की फलावट कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे मौका कब्जा एवं रेकर्ड की स्थिति में भि[illegible] गई है। इस कारण मौके पर पक्षकारान के बीच विवाद [illegible]स द्वारा लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर स्वी[illegible]ई है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की [illegible] है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है, ऐसे में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपास्त करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन कराया जाना उचित है। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 132 दिनांक 23.12.2004 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार जसोल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:12 IST
Reason: SelfAttested